Q. 8 कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य के सप्तांग सिद्धान्त की विवेचना करें ।

Ans: - भारतीय राजशास्त्र के अन्तर्गत मनु, भीष्म और और शुक्र आदि राजशास्त्रियों के द्वारा राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित जाग्रत शरीर के रूप में की गई है जिसके सात अंग होते है। शुक्र नीति में राज्य के इन अंगों को मानव शरीर से तुलना करते हुए कहा गया है।

"इस शरीर रूपी राज्य में राजा मूर्धा (सिर) के समान है, आमात्य आँख, मित्र कान, कोषमुख, बल मन, दुर्ग हाथ तथा राष्ट्र पैर है।"

इन विद्वानों के समान कौटिल्य ने भी राज्य को सात प्रकृतियुक्त माना है, राज्य की ये सात प्रकृतियाँ या अंग इस प्रकार है - स्वामि, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र। कौटिल्य ने इन सप्त प्रकृतियों का विशद विवेचन इस प्रकार किया है:-

1) स्वामि :- कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का प्रधान अंग होता है, इसे उसने स्वामि की संज्ञा दी है। स्वामी का अर्थ आदेश देनेवाला या शासन करने वाले से है। राजा में अनेक गुण होने चाहिए, जैसे - विनय, विवेक, शास्त्र ज्ञान, समयानुकूल व्यवहार करने की योग्यता, प्रजा के पोषण और रक्षण की क्षमता, शत्रु - मित्र का ज्ञान, शत्रु की त्रुटियों को समझने की शक्ति और चापलूसी में न फँसने की जागरूकता। कौटिल्य कहता है "प्रजा सुखे सुखं राज्ञ: प्रजानां च हिते हितम्। नात्मप्रियं हितं राज्ञ: प्रजानां तु प्रियं हितम्॥"

अर्थात् प्रजा के सुख में राजा का सुख है उसके कल्याण में राजा का कल्याण है, जो कुछ राजा को स्वयं अच्छा लगे उसे अच्छा नहीं समझना चाहिए। परन्तु जो कुछ भी उसकी प्रजा को आनन्द दे राजा के द्वारा उसे ही अच्छा समझा जाना चाहिए। उसके अनुसार राजा और प्रजा में पिता - पुत्र का संबंध होना चाहिए। राजा के अनेक कार्यों में वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना। दंड की व्यवस्था करना, लोकहित कार्य आदि है। कौटिल्य का राजा अत्याचारी नहीं हो सकता चाहे वे कुछ बातों में स्वेच्छाचारी रहे क्योंकि वह धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र के सुस्थापित सुस्थापित नियमों के अधीन रहता है।

Page No.
Date : / /200

2) अमात्य :- अमात्य से कौटिल्य का आशय मंत्रियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से है। कौटिल्य ने उन्हें सचिव भी कहा है। इसके अनुसार राजा को चाहिए की वह निष्ठावान और योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य पद के लिए नियुक्त करें तथा अपने सहपाठियों संबंधियों सिफारिशी लोगों को अमात्य न बनावें। अर्थशास्त्र में राजा के लिए मंत्रिपरिषद् की आवश्यकता पर बल बहुत दिया है। उसके अनुसार राजा एक रथ है जैसे रथ एक पहिए से नहीं चल सकता उसी प्रकार मंत्रियों की सहायता के बिना अकेले राजा राज्य का संचालन नहीं कर सकता। अतः राजा केवल योग्य मंत्री ही नियुक्त नहीं करे मंत्रियों के साथ मंत्रणा किए बिना राजा का काम नहीं चल सकता। कौटिल्य ने लिखा है कि मंत्रिपरिषद् की संख्या समय परिस्थिति और आवश्यकतानुसार होनी चाहिए। इसके अनुसार सामान्यतः तीन या चार मंत्रियों के साथ मंत्रणा की जानी चाहिए।

~~(राष्ट्र)~~
3) जनपद :- जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि। वर्तमान काल में इसे हम जनता या भूमि कहते है। कौटिल्य ने उन दोनों को एक ही पद में सम्मिलित करते हुए जनपद का नाम दिया है। प्लेटो और अरस्तु की भाँति कौटिल्य ने भी जनता और भूमि दोनों का अलग-2 वर्णन किया है। उसका मत है कि जनता सरल हृदयवाली निष्ठावान, स्वाभिमानी तथा सम्पन्न होनी चाहिए ताकि राजा द्वारा लगाए गए करों को चुकाने की क्षमता रखती हो तथा स्वेच्छा से अदा करती हो। जनता में शासक की आज्ञाओं का स्वाभाविक रूप से पालन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए।
भूमि के विषय में उसका विचार है कि वह प्रत्येक प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। उसमें नदी, तालाबें, वन खाने जल-स्थल मार्ग, उपजाऊ मिट्टी, हर प्रकार के पशु-पक्षी, दुर्ग, पर्वत इत्यादि होनी चाहिए। कौटिल्य पड़ोसी राज्यों के विषय में विचार करते हुए कहता है कि सीमावर्ती राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं होने चाहिए।